संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
छत्तीसगढ़

विभागाध्यक्ष भवन ब्लॉक एक, तृतीय तल, इन्द्रावती भवन, नया रायपुर

क्रमांक एफ : 01–01/2018/विज्ञप्त/ 1106 नया रायपुर, दिनांक : 11 /07/2018

::–आदेश–::

छ.ग. शासन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग अन्तर्गत संचालनालय स्वास्थ्य सेवाऐं की विज्ञप्ति क्रमांक एफ 01–01/2018/विज्ञप्त/35, दिनांक 10 जनवरी, 2018 के अनुक्रम में माह जून–2018 के दौरान प्राप्त होने वाले आनलाईन आवेदनों एवं दिनांक 07.07.2018 को प्राप्त होने वाले ऑफलाईन आवेदनों का **दिनांक 07.07.2018 (शनिवार)** को संविदा नियुक्ति हेतु साक्षात्कार (WALK-IN-INTERVIEW) में उपस्थित अभ्यार्थियों की योग्यता अर्हता संबंधी दस्तावेजों का परीक्षण उपरान्त चयन समिति के अनुशंसा अनुरुप संविदा नियुक्ति के लिए पात्र निम्नांकित उम्मीवारों को (संविदा नियुक्ति) नियम 2012 एवं विज्ञापन में वर्णित प्रावधान अनुसार नीचे दर्शित शर्तो पर दो वर्ष के लिए पोस्ट ग्रेजुएट चिकित्सा अधिकारी/चिकित्सा अधिकारी पद पर संविदा नियुक्ति नीचे दर्शित शर्तो के तहत् प्रदान की जाती है:–

क्र.	नाम	पिता/पति का नाम	संवर्ग	पता	योग्यता	पदनाम	पदस्थापना स्थल
1	2	3	4	5	6	7	8
1	डॉ. आदित्य नारायण गुईन	श्री अजय कुमार गुईन	अनारक्षित	थाना रोड़ अकलतरा, पोस्ट–अकलतरा, जिला जांजगीर–चांपा छ.ग. पिन–495552	PG degree in Surgery	चिकि. विशे. पद विरूद्ध	सामु. स्वा. केन्द्र बलौदा, जिला जांजगीर
2	डॉ. सिद्धार्थ रॉय	श्री प्रदीप कुमार रॉय	अनारक्षित	आरएनटी लेन, हेमुनगर, रेल्वे ओवर ब्रिज के पास, बिलासपुर छ.ग.	PG degree in Surgery	चिकि. विशे. पद विरूद्ध	जिला चिकित्सालय बिलासपुर
3	डॉ. निकिता गिरेपुंजे	श्री विनय गिरेपंजे	अ.पि.वर्ग.	हाउस नं.–एफ–5, निलय हॉस्टल, अवंती विहार, रायपुर छ.ग.	MBBS	चिकि	जिला चिकित्सालय दुर्ग
4	डॉ. विरेन्द्र कुमार	श्री कलीराम	अनु.जाति	ग्राम–सेमरा, पोस्ट+थाना–गिधौरी, ब्लाक–कसडोल, जिला बलौदाबाजार छ.ग. पिन–493344	MBBS	चिकि	सामु. स्वा. केन्द्र राखी सेक्टर–25, नया रायपुर छ.ग.

उपर्युक्त नियुक्ति निम्नांकित शर्तो के अधीन होगी :–

1. संविदा नियुक्ति पूर्णतः अस्थाई होगी।
2. यह नियुक्ति छ.ग. शासन के संविदा भर्ती नियम (छ.ग. सिविल सेवा) 2012 के अंतर्गत किया गया।
3. संविदा सेवा नियुक्ति के नियम 2012 एवं विज्ञापन पर प्रसारित शर्तो के अधीन नियंत्रित व शासित होंगे।

4. छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (संविदा नियुक्ति) नियम 2012 के कंडिका–15 की (अन्य शर्तें) लागू होगी।
5. प्रतिमाह एक मुश्त मानदेय होगाः–
   चिकित्सा अधिकारी (एम.बी.बी.एस.योग्यता धारी) संविदा नियुक्त को एक मुश्त देय राशि का विवरण इस प्रकार है :– सामान्य क्षेत्र अन्तर्गत रुपये 45,000/– अनुसूचित क्षेत्र की स्वास्थ्य संस्थाओं में रुपये 55,000/– देय होगी।
   चिकित्सा अधिकारी (पोस्टग्रेज्यूवेट पी.जी.डिग्री–डिप्लोमा योग्यता धारी) संविदा नियुक्त को एक मुश्त देय राशि का विवरण इस प्रकार है :– सामान्य क्षेत्र अन्तर्गत रुपये 55,000/– अनुसूचित क्षेत्र की स्वास्थ्य संस्थाओं में रुपये 60,000/– देय होगी।
6. कर (टी.डी.एस.) की कटौती नियमानुसार की जावेगी।
7. संविदा सेवा अवधि के दौरान प्रतिमाह एक मुश्त मानदेय व अन्य राशि प्रावधानित अनुसार देय होगी, इसके अतिरिक्त किसी अन्य प्रकार का भत्ता/सुविधा देय नहीं होगा।
8. संविदा पर नियुक्त कर्मचारी को प्रत्येक कैलेण्डर वर्ष में 18 दिनांक का आकस्मिक अवकाश एवं 03 दिनों का ऐच्छिक अवकाश की पात्रता होगी।
9. संविदा सेवा अवधि के दौरान दोनों पक्षों में से किसी एक पक्ष द्वारा एक माह की पूर्व सूचना या उसके एवज में एक माह का मानदेय देकर नियुक्ति समाप्त की जा सकेगी। अनुबंधित छात्र होने की स्थिति में नियमानुसार अनुबंध की संपूर्ण राशि एवं उपरोक्त राशि शासकीय कोष में जमा किया जाना होगा।
10. सेवा समाप्ति पश्चात् संविदा शासकीय सेवक के रूप में दी गई सेवा अवधि हेतु किसी प्रकार का पेंशन, उपादान या मृत्यु लाभ आदि की पात्रता नहीं होगी।
11. चयनित अभ्यार्थी द्वारा कार्यभार ग्रहण करते समय जिला मेडिकल बोर्ड से स्वास्थ्य उपयुक्तता प्रमाण–पत्र प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा।
12. कार्यभार ग्रहण करने के पश्चात् नियुक्त अधिकारी/कर्मचारी को पदस्थापना स्थल पर ही मुख्यालय बनाकर निवास करना होगा, किसी भी परिस्थिति में मुख्यालय के अतिरिक्त अन्यत्र स्थानों से आना–जाना अनुमत्य नहीं होगा तथा ऐसा पाये जाने पर आवश्यक उचित कार्यवाही की जावेगी।
13. संविदा पर नियुक्त अधिकारी का वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रत्येक वर्ष, जिला नियंत्रण अधिकारी द्वारा किया जावेगा, इसका प्रतिवेदन आवश्यकतानुसार जिला स्वास्थ्य नियंत्रण अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया जावेगा।
14. संविदा नियुक्ति समान्यतः स्वीकृत कार्ययोजना की स्वीकृति के अनुसार दो वर्ष के लिये होगी। विभाग आवश्यकता के आधार पर कार्य का मूल्यांकन (Prefomance Appraisal) कर निर्धारित मापदण्डों में ऊपर होने पर संविदा पर कार्यरत अधिकारी की उपयुक्तता का आंकलन कर संविदा नियुक्ति की अवधि को एक बार में एक वर्ष के लिए बढ़ाते हुये कार्य की अवधि में नवीनीकरण का निर्णय शासन ले सकेगा। संविदा नियुक्ति की अवधि समाप्ति पर संविदा सेवा स्वमेव समाप्त मानी जावेगी। इसके लिए पृथक से सूचना नहीं दी जावेगी।
15. जिला में पदस्थापना के दौरान संविदा नियुक्त अधिकारी को संविदा शर्तो के तहत् नियुक्तिकर्ता/नियत्रंणकर्ता के साथ अनुबंध करना होगा। संविदा नियुक्ति आदेश जारी होने पर संविदा पर नियुक्ति व्यक्ति को प्रथम नियुक्ति स्थल एवं पदस्थापना उपरांत किसी अन्य स्थल/पद पर स्थानांतरण मात्र से कोई नवीन करार निष्पादित करना आवश्यक नहीं होगा।
16. कलेक्टर कार्यालय द्वारा जारी आदेश एवं निर्देशों का पालन आपके द्वारा किया जाना अनिवार्य होगा एवं उच्च कार्यालय द्वारा समय–समय पर दी जाने वाली सुविधाएँ लागू होगी।

17. नियुक्ति आदेश जारी होने के उपरांत अपनी पदांकन स्थल में 15 दिवस के भीतर कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा अन्यथा संविदा नियुक्ति स्वमेव समाप्त माना जावेगा।

18. नियुक्त/शर्तो में शिथलीकरण का अधिकार संचालक, स्वास्थ्य सेवाऐं छत्तीसगढ़ नया रायपुर को होगा।

19. जिन अभ्यार्थियों का छत्तीसगढ़ मेडिकल कॉउसिल में रजिस्ट्रेशन नहीं है वह तीन माह के अंदर छत्तीसगढ़ मेडिकल कॉउसिल में रजिस्ट्रेशन करावाकर प्रमाण पत्र संयुक्त संचालक, संचालनालय स्वास्थ्य सेवाऐं (विज्ञप्त शाखा) एवं अपने जिला नियंत्रण कार्यालय में जमा करना अनिवार्य होगा। यदि निर्धारित समय सीमा में पंजीयन प्रस्तुत करने में किन्हीं कारणों से असमर्थ रहते हैं, तो ऐसी स्थिति में प्रदान की जा रही संविदा सेवाऐं स्वयंमेव समाप्त हो जावेगी, इसके लिए पृथक से आदेश की आवश्यकता नहीं होगी।

संचालक
स्वास्थ्य सेवायें
छत्तीसगढ़

पृ0क्रमांक एफ : 01—01/2018/विज्ञप्त/ 1107 नया रायपुर, दिनांक : 11/07/2018

<u>प्रतिलिपि :— सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।</u>

1. निज सहायक, मान. मंत्री जी, छत्तीसगढ़ शासन स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मंत्रालय महानदी भवन नया रायपुर।
2. सचिव, छ.ग. शासन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय महानदी भवन नया रायपुर।
3. संबंधित संभागीय संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, ...छत्तीसगढ़।
4. संबंधित कलेक्टर...छत्तीसगढ़।
5. संबंधित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी...छत्तीसगढ़।
6. संबंधित सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक.. छत्तीसगढ़।
7. संबंधित कोषालय अधिकारी...छत्तीसगढ़।
8. संबंधित खण्ड चिकित्सा अधिकारी सामु. स्वा. केन्द्र. .... छत्तीसगढ़।
9. संबंधित डॉ...संविदा चिकित्सक... की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
10. श्री सी.सी. संतोष, कार्यालय, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, सेक्टर—27, नया रायपुर, छत्तीसगढ़ की ओर आदेश विभागीय वेबसाईड *<u>www.cghealth.nic.in</u>* पर अपलोड कराने हेतु प्रेषित।
11. आदेश फाईल।

संचालक
स्वास्थ्य सेवायें
छत्तीसगढ़